न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 255 सन 2022

अनवान :–

1. मोहनलाल पुत्र नेतराम जाति जाट साकिन थालडका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. दीपक कुमार पुत्र मोहनलाल जाति जाट साकिन थालडका तहसील नोहर।
2. धर्मपाल पुत्र रामस्वरूप जाति जाट साकिन थालडका तहसील नोहर।
3. महेन्द्रसिह पुत्र हरिसिह जाति जाट साकिन थालडका तहसील नोहर।
4. रूकमणी पत्नी रामस्वरूप जाति जाट साकिन थालडका तहसील नोहर।
5. रेणु पुत्री रामस्वरूप जाति जाट साकिन थालडका तहसील नोहर।
6. राजेश कुमार पुत्र हरिसिह जाति जाट साकिन थालडका तहसील नोहर।
7. हरिसिह पुत्र नेतराम जाति जाट साकिन थालडका तहसील नोहर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 21/04/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 2 टीकेएम के खाता संख्या 127/95 की कुल 2.5300हैक भूमि में वादी का 15811/75900हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का 3163/25300हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 का 3/20 हिस्सा , प्रतिवादी सख्या 3 का 1/20 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 4 का 11/120 हिस्स , प्रतिवादी संख्या 5 का 11/120 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 6 का 3/20 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 7 का 1/20 हिस्सा , व खाता संख्या 133/106 की कुल 5.3130हैक भूमि में वादी का 1/3 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 2 का 3/20 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 का 11/120 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 5 का 11/120 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 7 का 1/3 हिस्सा मुश्तरका खाते में दर्ज है ।

वाद भूमि पूर्व में वादी के पूर्वज नेतराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर उनके वारिसान पुत्रों के नाम दर्ज हुई जिसमें से रामस्वरूप का देहान्त होने पर उनके वारिसान के नाम विरास्तन से दर्ज है अर्थात वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के नाम मुश्तरका खाते में दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होने भूमि काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए परिवारिक समझौता /बाहमी बटवारा किया गया था जिसमें रोही मौजा चक 2 टीकेएम की भूमि में प्रतिवादी सख्या 2 ता 7 ने अपने हको का त्याग किया गया जिसके कारण रोही मौजा चक 2 टीकेएम की भूमि कब्जा काश्त में है एवं रोही मौजा चक 2 टीकेएम के खाता संख्या 133/106 की भूमि में वादी ने अपने हकों का त्याग कर दिया तथा प्रतिवादी संख्या 4 ने वाद भूमि में अपने हको का त्याग किया जाकर अन्य खाते में भूमि रख ली वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 अपने बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है इसी अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 को कई मर्तबा कहा की वादी एव प्रतिवादीगण के बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वाद भूमि जो वादी एवप प्रतिवादी सख्या 1 ता 7 के नाम मुश्तरका खाते में दर्ज का वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के मध्य हुए बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकरी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

Scanned with CamScanner

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में उनके पूर्वज नेतराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने एवं नेतराम के पुत्र रामस्वरूप के देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के नाम से दर्ज हुई है वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होने भूमि काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अन्य भूमियो के साथ वाद भूमि का परिवारिक समझौता /बाहमी बटवार कर लिया जिसमें रोही मौजा चक 2 टीकेएम के खाता संख्या 127/95 की भूमि वादी का प्राप्तु हुई शेष ने अपने हको का त्याग वादी के पक्ष में कर दिया इसीप्रकार खाता संख्या 133/106 की भूमि में प्रतिवादी संख्या 3, 6 ने अपने हकों को त्याग कर दिया यह भूमि वादी प्रतिवादी संख्या 2 ,4 ,5 ,7 व वादी के हक हिस्सा में आई इसीप्रकार भूमि काश्त करते आ रहे है वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 के बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 8 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 2 टीकेएम के खाता संख्या 127/95 की कुल 2.5300हैक भूमि में वादी का 15811/75900हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का 3163/25300हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 का 3/20 हिस्सा , प्रतिवादी सख्या 3 का 1/20 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 4 का 11/120 हिस्स , प्रतिवादी संख्या 5 का 11/120 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 6 का 3/20 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 7 का 1/20 हिस्सा , व खाता संख्या 133/106 की कुल 5.3130हैक भूमि में वादी का 1/3 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 2 का 3/20 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 का 11/120 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 5 का 11/120 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 7 का 1/3 हिस्सा मुश्तरका खाते में दर्ज है ।

वाद भूमि पूर्व में वादी के पूर्वज नेतराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर उनके वारिसान पुत्रों के नाम दर्ज हुई जिसमें से रामस्वरूप का देहान्त होने पर उनके वारिसान के नाम विरास्तन से दर्ज है अर्थात वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के नाम मुश्तरका खाते में दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होने भूमि काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए परिवारिक समझौता /बाहमी बटवारा किया गया था जिसमें रोही मौजा चक 2 टीकेएम की भूमि में प्रतिवादी सख्या 2 ता 7 ने अपने हको का त्याग किया गया जिसके कारण रोही मौजा चक 2 टीकेएम की भूमि कब्जा काश्त में है एवं रोही मौजा चक 2 टीकेएम के खाता संख्या 133/106 की भूमि में वादी ने अपने हकों का त्याग कर दिया तथा प्रतिवादी संख्या 4 ने वाद भूमि में अपने हको का त्याग किया जाकर अन्य खाते में भूमि रख ली वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 अपने बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है इसी अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे

Scanned with CamScanner

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 2 टीकेएम के खाता संख्या 127/95 की कुल 2.5300हैक भूमि में वादी का 15811/75900हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का 3163/25300हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 का 3/20 हिस्सा , प्रतिवादी सख्या 3 का 1/20 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 4 का 11/120 हिस्स , प्रतिवादी संख्या 5 का 11/120 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 6 का 3/20 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 7 का 1/20 हिस्सा , व खाता संख्या 133/106 की कुल 5.3130हैक भूमि में वादी का 1/3 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 2 का 3/20 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 का 11/120 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 5 का 11/120 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 7 का 1/3 हिस्सा मुश्तरका खाते में दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि पूर्व में उनके पुर्वजो के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के नाम विरास्तन से दर्ज हुई है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है तथा प्रस्तुत जमाबन्दी से भी साबित है।

वादी का कथन है कि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होने काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए परिवारिम समझौता/बाहमी बटवारा कर लिया है उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जावे वादी के कथनो को प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 4 ,5 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 2 टीकेएम के खाता संख्या 127/95 की कुल 2.5300हैक भूमि में से प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा रोही मौजा चक 2 टीकेएम के खाता संख्या 133/106 की कुल 5.313हैक भूमि में प्रतिवादी संख्या 4 ,5 का नाम कलमजन किया जाकर प0न0 216/402 (18) के किला न0 11 ,12 ,20 ,21 प्रत्येक 0.2530हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 2 एव प0न0 224/406(46) के किला न0 22 ता 25 प्रत्येक 0.2530हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 7 के नाम एवं शेष भूमि का वादी का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 21/09/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. मोहनलाल पुत्र नेतराम जाति जाट साकिन थालडका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 दीपक कुमार पुत्र मोहनलाल जाति जाट साकिन थालडका तहसील नोहर।
2. धर्मपाल पुत्र रामस्वरूप जाति जाट साकिन थालडका तहसील नोहर।
3. महेन्द्रसिह पुत्र हरिसिह जाति जाट साकिन थालडका तहसील नोहर।
4. रूकमणी पत्नी रामस्वरूप जाति जाट साकिन थालडका तहसील नोहर।
5. रेणु पुत्री रामस्वरूप जाति जाट साकिन थालडका तहसील नोहर।
6. राजेश कुमार पुत्र हरिसिह जाति जाट साकिन थालडका तहसील नोहर।
7. हरिसिह पुत्र नेतराम जाति जाट साकिन थालडका तहसील नोहर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 255 सन 2022 निर्णय दिनांक– 21/04/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 2 टीकेएम के खाता संख्या 127/95 की कुल 2.5300हैक भूमि में से प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा रोही मौजा चक 2 टीकेएम के खाता संख्या 133/106 की कुल 5.313हैक भूमि में प्रतिवादी संख्या 4 ,5 का नाम कलमजन किया जाकर प0न0 216/402 (18) के किला न0 11 ,12 ,20 ,21 प्रत्येक 0. 2530हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 2 एव प0न0 224/406(46) के किला न0 22 ता 25 प्रत्येक 0. 2530हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 7 के नाम एवं शेष भूमि का वादी का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 21/04/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner